पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

बिहार सरकार

Directorate of Fisheries, Bihar, Patna

"मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना"

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही हेतु निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट तथा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन हेतु थ्री–व्हीलर वाहन–ऑइस बॉक्स सहित उपलब्ध करना है ताकि उपभोक्ताओं तक स्वच्छता हाईजीनीक अवस्था में ताजी मछली को पहुंचाने में सहुलियत हो तथा रोजगार के नए अवसर के साथ–साथ मछुओं एवं मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्वि हो सकेगी।

लाभुकों का चयन/आहर्ता:–

- योजनान्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य तथा अन्य वर्ग के मछुआ/अनुसूचित जाति/जनजाति/जीविका समूह/एफ0एफ0पी0ओ0 जो मत्स्य बिक्री का कार्य करतें हो, आवेदक होंगें।
- आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाईल नं0 तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई0 एफ0 सी0 कोड अंकित किया जायेगा।
- आवेदन उपरांत लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी।
- आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
- साथ ही आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र समर्पित करना होगा कि मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है एवं आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य मत्स्य विपणन/वाहन योजना का लाभ प्राप्त है, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

अनुदान देय:–

क्र सं0	योजना का नाम	देय अनुदान :–
(क)	मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना	योजनान्तर्गत चयनित राज्य के मछुओं/मत्स्य विक्रेताओं/मत्स्य वेंडरों लाभुकों को "शत–प्रतिशत अनुदान" पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराया जाएगा।
(ख)	मत्स्य परिवहन योजना	योजनान्तर्गत राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक/खुदरा मत्स्य बिक्री का कार्य करते हो को निर्धारित इकाई ला गत का 50 प्रतिशत अनुदान पर थ्री व्हीलर–आईस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन:–

(1) चयनित लाभुक के द्वारा सूचिबद्व आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री व्हीलर– आईस बॉक्स सहित वाहन/मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट कोटेशन स्वयं प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

(2) चयनित लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।

(3) जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी एवं एजेंसी से प्राप्त क्रमशः पावती एवं Advice से मिलान के उपरांत लाभुक को वाहन/किट की आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी।

(4) मत्स्य शिकारमाही, विपणन किट एवं थ्री व्हीलर– आईस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैंप लागाकर किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया :–

योजना हेतु आवेदन http://fishries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश सं०–697, दिनांक – 13.02.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाइट http:// state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html

PR No.- 022225 (Animal)D. 2024-25